बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं0-EST-489011/1/2021-SEC-1-...1489..../श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय-जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक-747 दिनांक-14.08.2021 से प्राप्त पत्र एवं प्रभात खबर दैनिक में छपे समाचार के अनुसार श्रीमती कुमारी को परिवादी श्री विकास पाण्डेय, ग्राम+पोस्ट+थाना- भोजपुर से 20,000/- (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक- 12.08.2021 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा ट्रैपिंग कर गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त होने तथा उक्त के संबंध में इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-031/2021 दिनांक-12.08.2021 दर्ज होने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3566 दिनांक-27.08.2021 से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध समीक्षोपरांत आरोप पत्र (प्रपत्र- 'क') गठित कर सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. विभागीय संकल्प संख्या-98 दिनांक-07.01.2022 द्वारा मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित करते हुए श्रीमती मंजू कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०, जॉच आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक-02/गो० दिनांक 04.01.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप पत्र के सभी तीनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक-517 दिनांक-30.01.2024 द्वारा लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की मॉग किये जाने पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-16.02.2024 से अपना लिखित अभ्यावेदन / निवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन / निवेदन में कोई नया कथन / साक्ष्य नहीं दिया गया। अपितु वही बाते दुहराई गई है, जो वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष पूर्व में भी प्रस्तुत कर चुकी हैं तथा उनपर विचारोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित बताया गया है। इस मामले में यह तथ्य अभिलेख आधारित है कि ये परिवादी श्री विकास पाण्डेय से 20,000/- रू० रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्फतार हुई थी एवं परिवादी की मॉ इनके अधीन सेविका के रूप में कार्यरत थीं, जिनके क्रयपंजी पर प्रतिहस्ताक्षर करना इनके पदीय दायित्वों में है। परिवादी एवं इनके बीच पैसे का लेन-देन का कोई सरकारी संबंध नहीं था तथा जिस पैसे को लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजी गई, उस लेन-देन का पूर्व सूचना उनके द्वारा अपने नियंत्री प्राधिकार/विहित प्राधिकार को नहीं दी गई थी और न हीं ऐसा कोई दावा किया गया है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(xi) के तहत इन्हें "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" का निर्णय लिया गया।

निर्णित वृहद शास्ति के आलोक में विभागीय पत्रांक-4097 दिनांक- 30.08.2024 एवं पत्रांक-5587 दिनांक-04.11.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से उक्त वृहद शास्ति पर

परामर्श की मॉग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-3555 दिनांक-17.12.2024 से अपना परामर्श विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय दण्ड प्रस्ताव **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** की शास्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात इस मामले को मंत्रिपरिषद् के समक्ष विभागीय संलेख ज्ञापांक-1161 दिनांक-19.02.2025 द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.02.2025 में मद संख्या-05 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित, (निलंबन अवधि का मुख्यालय- जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) को **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** की शास्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित, (निलंबन अवधि का मुख्यालय- जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 समय-समय पर यथा- संशोधित के नियम-14(xi) के तहत तत्काल प्रभाव से **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- EST-489011/1/2021-SEC-1- 1489 पटना, दिनांक :- 4.3.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- EST-489011/1/2021-SEC-1- 1489 पटना, दिनांक- 4.3.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना / निदेशक, आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना /जिला पदाधिकारी, भोजपुर / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल
निबंधित

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।